

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी शुभलाल विपक्षी मोहरी बाबू
 किस्म मुकद्मा वाद पत्रावली संख्या ११/२५ सन _____

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|-----------------|---|
|---------|-----------------|---|

09/06/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय वादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर श्री प्रतिवादी सं. 1 की तलबी रजि. एबी. से करा रही पेश नहीं की। इससे यह प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी अपने वाद के प्रति खजग नहीं हैं तथा न्यायालय का समय व्यर्थ किया जा रहा है। आज भी अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अफम हाजरी अफम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय जुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

